

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7 (2) (33) रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./16/

उप निदेशक/सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

समस्त जिला कार्यालय.....

28700-34

जयपुर, दिनांक

6/05/2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में छात्रावासों में रसोइये एवं चौकीदारी का कार्य/ सेवाएँ जॉब बेसिस के आधार पर ही करवाये जाने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3(2)(1)बजट/सान्यावि/2016-17 एवं 35 दिनांक 01.04.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय छात्रावासों में भोजन बनाने का कार्य एवं चौकीदारी का कार्य जहां नियमित रसोईया/चौकीदार कार्यरत नहीं हो वहां राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जॉब बेसिस के आधार पर ही करवाया जाना है जिसका भुगतान संगत लेखामद के मद 41 संविदा सेवाओं से किया जाना है। रसोई एवं चौकीदार संबंधी कार्य जॉब बेसिस पर करवाने हेतु उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निविदाएं आमंत्रित कर जॉब बेसिस पर ही कार्य करवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त व्यक्ति/व्यक्तियों की सेवाएं संविदा के आधार पर नहीं ली जावे। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सेवाएं लेने की स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को भुगतान हेतु संबंधित जिला अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को भुगतान हेतु कोई बजट उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

अतः स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार छात्रावासों में रसोईयां/चौकीदारों का कार्य/सेवाएँ जॉब बेसिस के आधार पर ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

M 6.5.16

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक

जयपुर, दिनांक

6/05/2016

क्रमांक एफ 7 (2) (33) रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./16/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

28735-38

1. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
3. अतिरिक्त निदेशक (अनु.जाति, जनजाति कल्याण)

6/5/2016

अतिरिक्त निदेशक  
(अनु.जाति, जनजाति कल्याण)